

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग


क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013

जयपुर, दिनांक: 11 अप्रैल, 2019

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव, 2019 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में 07 चरणों में क्रमशः दिनांक 11.04.2019, 18.04.2019, 23.04.2019, 29.04.2019, 06.05.2019, 12.05.2019 एवं 19.05.2019 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। इन दिवसों में से राजस्थान राज्य से लगती हुई सीमावर्ती जिलों में दिनांक 18.04.2019 को चुनाव होना है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की राजस्थान से लगती हुई सीमा के 3 किलोमीटर क्षेत्र में दिनांक 16.04.2019 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 18.04.2019 को सायं 6.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है। पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन भी 'सूखा दिवस' घोषित किया जाता है।


आज्ञा से,



(ऑंकारमल राजोतिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनकी अशा.टीप क्रमांक प.8(2)(22)निर्वा./2018/3643 दिनांक 04.04.2019 के संदर्भ में।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आपके पत्र क्रमांक 643/सी0ई0ओ0/2-08/2-2019 दिनांक 28.03.2019 के संदर्भ में।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
6. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
7. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रह तथा वितरण से संबंधित मद्यनिषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
8. जिला कलेक्टर भरतपुर एवं धौलपुर।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, भरतपुर।
10. जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर एवं धौलपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
12. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव